प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 28.04.2025

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 25000/- का वांछित ईनामी अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 16-03-25 को वादी श्री विकास तोमर पुत्र राकेश तोमर ग्राम शामली पो0 पिलखुआ हापुड ने सूचना दी की, अभि0गण द्वारा मेरे भाई सचिन तोमर को गाली गलोच देते हुए ,जान से मारने की नियत से गाडी से बार बार टक्कर मारकर बुरी तरह कुचल दिया है जो कि यशोदा हास्पिटल गाजियाबाद में भर्ती है, जिसके दोनो पैरो में फ्रैक्चर है। उक्त सूचना पर थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमो का गठन कर सर्विलांस व लोकल इनपुट व मौके पर सोसायटी के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरो व आस पास लगे सीसीटीवी कैमरो से उक्त घटना की पुष्टि हुई, पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए नामित अभि0 नीरज चौधरी के सम्भावित स्थानो पर दबिश दी गयी परन्तु अभि0 लगातार अपने आप को छिपाये हुआ था। अपराध की गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्त नीरज चौधर पर उच्चाधिकारीगण द्वारा 25000/- रुपये का ईनाम भी घोषित किया गया था। दिनांक 28-04-25 को प्राप्त सूचना पर अभि0 को एलटी कट के पास से गिरफ्तार किया गया। अभि0 के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार किये गये अभि0 ने पूछताछ पर बताया कि सचिन तोमर मेरे दोस्त का दोस्त है, जिससे मेरी भी दोस्ती हो गयी थी। होली से एक दो दिन पहले हम लोगो ने शराब पी ली थी, सचिन के साथ मेरी गाली गलोच हो गयी, जिस पर गुस्से में आकर मैने उसके उपर गाडी चढा दी थी, और डर के मारे मैं वहां से फरार हो गया था। घटना में इस्तेमाल गाडी अल्टो को मैने रामपुर में एक रिश्तेदार के यहां पर खडा कर दिया था। गाडी की बरामदगी हेतु थाना से टीम को रवाना किया गया है।

अभि0 का नाम व पता- नीरज चौधरी पुत्र डा0 राजकुमार हाल निवासी सिम्भावली सुगर मिल के सामने गुप्ता स्वीट्स के बगल वाली गली, सिम्भावली थाना सिम्भावली जनपद हापुड मूल निवासी ग्राम खुडलिया थाना सिम्भावली जनपद हापुड उम्र 45 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली टीम--

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम

क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाज़ियाबाद व थाना लोनी पुलिस द्वारा झारखण्ड राज्य से तस्करी कर लाई जा रही लगभग 32 लाख रुपए कीमत की 320 ग्राम स्मैक सहित 02 शातिर अन्तर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार

दिनांक- 27.04.2025 को क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना लोनी पुलिस द्वारा झारखण्ड राज्य के चतरा जिले से गाजियाबाद, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र में डिमाण्ड के अनुसार तस्करी करने वाले 02 शातिर अन्तर्राज्यीय तस्करों को थाना लोनी क्षेत्र के निठौरा अण्डरपास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की गई है। गिरफ्तार स्मैक तस्करों से तस्करी कर लाई जा रही 320 ग्राम स्मैक जिसकी कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 32 लाख रूपये है बरामद हुई है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ पर अभियुक्त विनोद कुमार डांगी ने बताया कि वह झारखण्ड के चतरा जिला का रहने वाला है और वह दसवी पास है, पहले वह अपने गांव में ही खेती बाडी व मजदूरी का काम करता था लेकिन

इस काम मे ज्यादा आमदनी नही थी फिर पैसे की अधिक आवश्यकता होने के कारण वह जिला चतरा के ही रहने वाले स्मैक तस्कर सुनील मुण्डा के सम्पर्क मे आया जो स्मैक की तस्करी झारखण्ड से बाहर भारत के कई राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब व दिल्ली एन0सी0आर0 मे करता था। विनोद कुमार डांगी ने भी स्मैक तस्कर सुनील मुण्डा से माल लेकर अवैध स्मैक की तस्करी झारखण्ड से बरेली, गाजियाबाद, दिल्ली व एन0सी0आर0, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, में डिमाण्ड के अनुसार करने लगा। विनोद कुमार डांगी ने यह भी बताया कि वह सुनील मुंडा के माध्यम से ही गाजियाबाद के अमित वर्मा के संपर्क में आया था जो गाजियाबाद,दिल्ली एनसीआर मे स्मैक की सप्लाई करता था।विनोद कुमार डांगी डिमांड के अनुसार बीच-बीच में अमित वर्मा को स्मैक की सप्लाई करके चला जाता था,विनोद को प्रति चक्कर 15000-20000 रू0 की बचत होती थी। अभियुक्त अमित वर्मा ने बताया कि वह झांसी जिला का रहने वाला हैं और 10 वी पास हैं। पहले वह अपने गांव में ही सरिया शटरिंग की दिहाडी मजदूरी का काम करता था लेकिन इससे उसके खर्चे व शौक पूरे नही होते थे, पिताजी के देहांत के बाद वह अपने परिवार सहित गाजियाबाद आकर रहने लगा तथा इसी दौरान अमित वर्मा की मुलाकात दिल्ली शाहदरा के रहने वाले सोनू उर्फ सलीम से हुई जो दिल्ली व गाजियाबाद बार्डर के आस-पास व दिल्ली एनसीआर में घूम फिर कर स्मैक बेचने का कार्य करता है जिससे प्रभावित होकर अमित वर्मा भी उसके साथ स्मैक बिक्री व तस्करी का कार्य करने लगा इसी बीच वह सोनू के माध्यम से स्मैक तस्कर विनोद कुमार डांगी के सम्पर्क मे आया और स्मैक की तस्करी झारखण्ड से बरेली, गाजियाबाद, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली व एन0सी0आर0 में डिमाण्ड के अनुसार सप्लाई करने लगा। पूछताछ पर दोनो ने यह भी बताया कि जब इस काम में ज्यादा फायदा होने लगा तो इन दोनो ने मिलकर (सुनील मुण्डा व सोनू उर्फ सलीम से हटकर) स्वयं अपने माल की तस्करी शुरू कर दी जिसमें और अधिक फायदा होने लगा। ये दोनो मादक पदार्थों के बिक्री व तस्करी के काम को करीब 01 वर्ष से अधिक समय से कर रहे है और कई बार माल विभिन्न राज्यों मे पार्टियों को पहुँचा भी चुके है। पकडे गये दोनो अभियुक्तों ने बताया कि उनको स्मैक की जितनी डिमाण्ड मिलती है उतना माल लेकर ये दोनो बस व ट्रेनों से बदल-बदल कर आते हैं, जिसको माल देना होता है वो जगह ये लोग चलने से पहले ही तय कर लेते हैं कि माल कहाँ और कितने बजे देना है। जब ये लोग माल लेकर चलते हैं तो किसी से सम्पर्क नही करते जब तक कि माल को तयशुदा जगह पर जिसको डिलीवरी देनी है उसे पंहुचा न दें। मादक पदार्थो की तस्करी मे कम समय में ज्यादा फायदा होता है, ये दोनो अपने शौक व घर के खर्चे इसी से पूरे करते हैं।

अभियुक्तगण से पूछताछ पर मादक पदार्थों के बिक्री व तस्करी करने वाले अपराधियों के सम्बन्ध में कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। जिसके आधार पर टीमें बनाकर माल बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी जा रही हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की पुलिस कार्यवाही से जनपद गाजियाबाद व आस-पास के क्षेत्रों में मादक पदार्थों की बिक्री व उनके सेवन पर रोक लगेगी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-.

1. विनोद कुमार डांगी पुत्र स्व0 राजू देव डांगी निवासी ग्राम गिधौर थाना गिधौर, जिला – चतरा , झारखंड ,उम्र लगभग 19 वर्ष

2. अमित वर्मा पुत्र स्व0 बाबूलाल वर्मा निवासी मौ0 तालपुरा थाना –नवाबाद जिला – झासी ,उम्र लगभग 24 वर्ष हाल पता – गिरिजाघर के पास गेट नं0 1 ट्रोनिका सिटी,थाना- ट्रोनिका सिटी, जनपद-गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण:-

1.स्मैक – 320 ग्राम कीमत लगभग 32 लाख रूपये

आपराधिक इतिहास-

1.अभियुक्त विनोद कुमार डांगी के विरूद्ध गाजियाबाद मे 01 अभियोग पंजीकृत है।

2.अभियुक्त अमित वर्मा के विरूद्ध गाजियाबाद मे 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना लोनी पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा घर में घुसकर चोरी की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से पीली धातु का 01 टुकड़ा, 01 अंगूठी व सफेद धातु के 02 जोडी पायल, 54 बिछिया बरामद। (आभूषणों की अनुमानित कीमत लगभग 11,50,000 /- रुपये)।

दिनांक 27.04.2025 को थाना शालीमार गार्डन पर वादी ऋषिकान्त गुप्ता पुत्र श्री राम सहाय गुप्ता निवासी 6/75 सेक्टर 02 राजेन्द्र नगर थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद की लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात चोर द्वारा मेरे घर में घुसकर ज्वैलरी व 5000/- रुपये चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में धारा 305 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कराया था। तत्काल थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा टीमें गठित कर मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 27.04.2025 को ही उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्त सोहिल पुत्र गफ्फार निवासी गली नं0- 01, म0नं0 डी- 390 सीमापुरी उम्र करीब 22 वर्ष को हुंडई कट थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी किये हुए पीली धातु का 01 टुकड़ा , 01 अंगूठी व सफेद धातु के 02 जोडी पायल, 54 बिछिया बरामद। (आभूषणों की अनुमानित कीमत लगभग 11,50,000 /- रुपये।) गिरफ्तार अभियुक्त सोहिल पुत्र गफ्फार के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 305 बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त सोहिल पुत्र गफ्फार से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त सोहिल से बरामद पीली धातु का 01 टुकड़ा , 01 अंगूठी व सफेद धातु के 02 जोडी पायल, 54 बिछिया चोरी के ही है। इन सभी आभूषणों को अभियुक्त साहिल ने दिनांक 25.04.2025 को वादी ऋषिकान्त गुप्ता के घर से चोरी किये थे। इन आभूषणों की अनुमानित कीमत लगभग 11,50,000/- रुपये है। दिनांक 27.04.2025 को अभियुक्त हुंडई कट के पास पीली व सफेद धातु के आभूषणों को बेचने की फिराक में घूम रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सोहिल पुत्र गफ्फार निवासी गली नं0- 01, म0नं0 डी- 390 सीमापुरी उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- पीली धातु का 01 टुकड़ा , 01 अंगूठी व सफेद धातु के 02 जोडी पायल, 54 बिछिया बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त सोहिल पुत्र गफ्फार के विरुद्ध थाना शालीमार पर चोरी का 02 अभियोग व एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग कुल 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 230 ग्राम अवैध गांजा व बिक्री के 2360/- रुपये नगद बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- आज दिनांक 28.04.2025 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर के जरिये सूचना प्राप्त हुई कि रेड लाइट सेक्टर 14 थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र में खाली जमीन के पास झाडियॉ में एक व्यक्ति गांजा नशीला पदार्थ की बिक्री कर रहा है और कुछ लोग गांजा खरीद रहे है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुए 01 अभियुक्त मुरारी पुत्र मुन्ना निवासी पप्पू बैल्डिंग वाले का मकान मस्जिद वाली गली ग्राम प्रहलाद गढी थाना इन्दिरापुरम मूल निवासी ग्राम कुटीया थाना झंझारपुर जनपद मधुबनी बिहार उम्र करीब 21 वर्ष को रेड लाइट सेक्टर 14 थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र में खाली जमीन के पास झाडियों के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 किलो 230 ग्राम अवैध गांजा व बिक्री के 2360/- रुपये बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त मुरारी के विरुद्ध धारा 8/20 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त मुरारी से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियोग से बरामद 01 किलो 230 ग्राम अवैध गांजा को सस्ते दामों में दिल्ली से खरीद कर लाता है। अभियुक्त मुरारी गांजे की छोटी-छोटी पुडिया बनाकर नशा करने वाले व्यक्तियों को अधिक दामों में बेचकर अधिक लाभ अर्जित करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मुरारी पुत्र मुन्ना निवासी पप्पू बैल्डिंग वाले का मकान मस्जिद वाली गली ग्राम प्रहलाद गढी थाना इन्दिरापुरम मूल निवासी ग्राम कुटीया थाना झंझारपुर जनपद मधुबनी विहार उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- कब्जे से 01 किलो 230 ग्राम अवैध गांजा व बिक्री के 2360/- रुपये नगद बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्त मुरारी के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर एनडीपीएस एक्ट 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम ।

थाना लोनी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 27.04.2025 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त तौसीफ पुत्र शौकीन निवासी आशियाना सिटी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री उम्र 13 वर्ष के साथ गलत काम करना तथा जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल धारा 64(2)(झ)/351(2) बीएनएस व 5/6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त तौसीफ पुत्र शौकीन निवासी आशियाना सिटी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष को निठौरा अन्डर पास के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं वादी की पुत्री को काफी समय से जानता हूँ। मैं पीडिता को बहला फुसलाकर हड्डी फैक्ट्री के पास ले गया था और मौका पाकर मैंने उसके साथ गलत काम किया था तथा उसे धमकी दी थी कि किसी को यह बात बतायी तो जान से मार दूंगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

तौसीफ पुत्र शौकीन निवासी आशियाना सिटी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ (एल्प्राजोलम पाउडर) के साथ अभियुक्त व अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 130 ग्राम मादक पदार्थ (एल्प्राजोलम पाउडर) व 62720/- रुपये बरामद।

आज दिनांक 28.04.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध नशीला पदार्थ (एल्प्राजोलम पाउडर) सहित अभियुक्त 1. रोहित पुत्र राकेश गुप्ता निवासी गली नं0-13 न्यू उस्मानपुर पहला पुस्ता शास्त्री पार्क दिल्ली, उम्र करीब 32 वर्ष व अभियुक्ता 2. खुशबू आयशा पत्नी राजू निवासी विजय विहार, थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष को सभापुर अंडरपास के पास थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 130 ग्राम मादक पदार्थ (एल्प्राजोलम पाउडर) व नशीला पदार्थ बेच कर प्राप्त किये गये 62720/- रुपये बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर धारा 8/22/29(1) एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त व अभियुक्ता उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों दिल्ली से चोरी छिपे अवैध नशीला पाउडर खरीद कर लाते हैं और इसकी छोटी-छोटी पुडिया बनाकर राह चलते लोगों को बेचकर मुनाफा कमा लेते हैं। ये रुपये हम दोनों ने एक साथ मिलकर एलप्राजोलम पाउडर बेचकर प्राप्त किये हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता का नाम व पता-

1.रोहित पुत्र राकेश गुप्ता निवासी गली नं0-13 न्यू उस्मानपुर पहला पुस्ता शास्त्री पार्क दिल्ली, उम्र करीब 32 वर्ष।

2.खुशबू आयशा पत्नी राजू निवासी विजय विहार, थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 130 ग्राम मादक पदार्थ (एल्प्राजोलम पाउडर) व नशीला पदार्थ बेच कर प्राप्त किये गये 62720/- रुपये बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त व अभियुक्ता के विरूद्ध थाना अंकुर विहार पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार।

आज दिनांक 28.04.2025 को थाना टीलामोड़ पर पीडिता द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्त मो0 फराज पुत्र मो0 शाकिर अली निवासी मौहल्ला फजरूल्ला गुलावटी जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 32 वर्ष ने दवाई पिलाकर मेरे साथ दुष्कर्म किया है। तत्काल थाना टीलामोड़ पुलिस वादिया की प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा (64(2)(m) बीएनएस, 3(2)(v) अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया मैनुअल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 28.04.2025 को ही अभियुक्त मो0 फराज को भोपुरा तिराहा थाना टीलामोड़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त मो0 फराज के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त मो0 फराज से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त मो0 फराज का गुलावटी व बुलन्दशहर में जाफरी दवाखाना है। पीडिता दिनांक 10.03.2025 को अभियुक्त मो0 फरज के दवाखाने पर दवाई लेने गई थी। अभियुक्त में अपने दवाखाने पर ही दवाई पिला दी जिससे वादिया को वही पर चक्कर आने लगे ओर दवाखाने का सटर बन्द कर वादिया के साथ दुष्कर्म किया था। दिनांक 27.04.2025 को अभियुक्त मो0 फराज ने वादिया को लोनी में एक होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मो0 फराज पुत्र मो0 शाकिर अली निवासी मौहल्ला फजरूल्ला गुलावटी जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 32 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम।